

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 13/2021

भोला राम (विक्रेता)

बनाम्

रजकुमार प्रसाद (क्रेता)

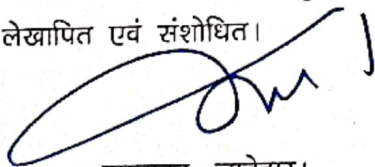
आदेश

प्रस्तुत वाद भोला राम पिता- भगवान राम सा0- हरखा, थाना- लातेहार, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता राजकुमार प्रसाद, पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद सा0- टोंटी, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार के साथ मौजा- हरखा, खाता संख्या-3, प्लॉट संख्या- 348, रकबा- 0.15 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, लातेहार से की गयी।

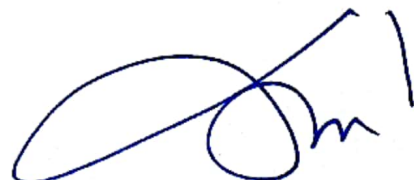
अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक- 330 दिनांक 28.08.2020 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों कहार (पिछड़ा वर्ग-1) जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक ही जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों पिछड़ा वर्ग-1 जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को अपनी पुत्री की विवाह के लिए रुपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी विक्रेता के दादी भुलवा कहारिन के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा- 1.92 एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा- 0.15 (शून्य दशमलव एक पंच) एकड़ भूमि क्रेता राजकुमार प्रसाद के साथ बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-1.77 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, लातेहार के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर विक्रेता भोला राम पिता-भगवान राम, सा0- हरखा, थाना- लातेहार, जिला- लातेहार द्वारा मौजा- हरखा, खाता संख्या- 3, प्लॉट संख्या- 348, रकबा- 0.15 एकड़ भूमि का राजकुमार प्रसाद, पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद सा0- टोंटी, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त, लातेहार।



उपायुक्त, लातेहार।